

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ-11(8)ग्रावि/नरेगा/पद सृजन/2010 पार्ट-। जयपुर दिनांक : १५.०५.२०१५
जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत संविदा कार्मिकों द्वारा
कार्य का बहिष्कार कर हड्डताल पर चले जाने पर संविदा समाप्त किये जाने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक एफ 12(1)ग्रावि/नरेगा/अ.अवकाश/2015 दि. 29.04.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा कार्मिकों की
हड्डताल को ध्यान में रखते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। इन दिशा-निर्देशों के क्रम में
विभिन्न जिलों में कार्य से अनाधिकृत अनुपस्थित चल रहे संविदा कार्मिकों की संविदा सेवाएं समाप्त
करने की कार्यवाही की गई है।

इस संबंध में कुछ जिलों से इस बाबत मार्गदर्शन चाहा जा रहा है कि जिन संविदा कार्मिकों के
अनुबन्ध समाप्त किये गये हैं वे संविदा कार्मिक यदि वापस काम पर आना चाह रहे हैं तो इस संबंध में
क्या कार्यवाही की जानी है। प्रकरण के संबंध में विधि विभाग से प्राप्त राय एवं राज्य स्तर पर किये गये
विचार-विमर्श उपरान्त निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :—

1. यदि कोई संविदा कार्मिक बिना किसी शर्त के काम पर वापस आने का निवेदन करता है तो
उसके निवेदन पर सहानुभुतिपूर्वक विचार किया जाकर पुनः नवीन अनुबन्ध पर लिये जाने की
अनुमति दी जाती है।
2. संविदा कार्मिकों को कार्य बहिष्कार अवधि/अनुपस्थित अवधि का कोई मानदेय भुगतान नहीं
किया जावे।
3. ऐसे संविदा कार्मिक जिनका अनुबन्ध समाप्त कर दिया गया है, भविष्य में बिना अनुमति के
स्वेच्छा से अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी सेवाएं स्थाई रूप से समाप्त कर दी जावेगी।
4. संविदा कार्मिकों को निर्धारित प्रपत्र में पूर्व की अनुबन्ध सेवाओं का लाभ देते हुए पुनः अनुबन्ध
किया जावेगा। यदि उक्त संविदा कार्मिकों की पूर्व सेवाएं 5 वर्ष से अधिक की हैं तो इनका
नवीन अनुबन्ध इस विभाग के कार्यालय आदेश क्रमांक 10(7)ग्रावि/नरेगा/संविदा/2010 दिनांक
15.05.2015 के अनुसार होगा। जिन संविदा कार्मिकों की सेवाएं 5 वर्ष से कम अवधि की हैं तो
नवीन अनुबन्ध में देय मानदेय, उनके हड्डताल पर जाने से पूर्व में दिये जा रहे मानदेय के बराबर
होगा तथा इनको दी जाने वाली वार्षिक मानदेय वृद्धि 5वें वर्ष तक पूर्वानुसार दी जाती रहेगी।

भवदीप

15/5/15

(राजीव सिंह ठाकुर)

शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतीलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा० मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, मा० मंत्री, विधि एवं न्याय विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
6. निजी सचिव, आयुक्त ईजीएस।
7. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस।
8. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम / द्वितीय) ईजीएस।
9. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
10. समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस।
11. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस